कार्यकारी सार

निष्पादन लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह जाँच करना था कि क्या दिल्ली पुलिस अपने जनशक्ति तथा सम्भार तंत्र का कुशलता तथा प्रभाविकता से प्रबंध कर रही है। इसके अतिरिक्त, संगठन के सभी इकाईयों के बुनियादी ढाँचे की पर्याप्तता की जाँच करने पर जोर दिया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा में मुख्य रूप से 2013-14 से 2018-19 तक छः वर्षों की अवधि के दौरान पुलिस की कानून व्यवस्था (क्षेत्रीय पुलिस जिले), सिक्योरिटी यूनिट, पीसीआर, संचालन और संचार, विशेष सेल, प्रावधान तथा सम्भार-तंत्र, आईटी सैल तथा पुलिस मुख्यालय को कवर किया गया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि जनशक्ति तथा अन्य संसाधन जैसे वाहनों, भौतिक अवसंरचना, अन्य उपकरण इत्यादि की तैनाती का इष्टतम से कम होना दिल्ली पुलिस की प्रभावी कार्यप्रणाली में एक मुख्य बाधा है, यद्यपि अन्य महानगरों की तुलना में जनशक्ति के मामले में दिल्ली पुलिस बेहतर सुसज्जित है। गृह मंत्रालय (गृ. मं.) के पास लंबित जनशक्ति प्रस्तावों के साथ भर्ती की धीमी प्रक्रिया एवं उपलब्ध जनशक्ति की उप-इष्टतम तैनाती उपलब्ध जनशक्ति पर अतिरिक्त बोझ बन गया है। स्टॉफ की कमी एवं असमान तैनाती के कारण बहुत से पुलिस स्टेशन तथा इकाईयाँ संस्वीकृत जनशक्ति की अपेक्षा बहुत कम स्टॉफ के साथ कार्य कर रही है। बहुत से पीसीआर वाहन बिना बंदूकधारियों के कार्य कर रहे हैं। कई इकाईयों में वाहन, बुलेटप्रूफ जैकेटें इत्यादि भी अपर्याप्त पाई गई।

पुलिस कंट्रोल रूम में काफी दिक्कतें देखी गई जहाँ पिछले वर्षों में ब्लैंक कॉल्स की बढ़ती संख्या आपात प्रतिक्रिया प्रणाली के निष्पादन को प्रभावित करने वाला मुख्य बाधक हो गया है; हालांकि इसका संतोषजनक हल होना अभी बाकी है। कॉल टेकर द्वारा प्रणाली में डाले गए डाटा की गुणवत्ता, प्रेषक भार, कतार का समय, प्रतिक्रिया समय इत्यादि मुद्दे भी देखे गए हैं। नई आपात प्रतिक्रिया प्रणाली के आने के बाद से कुछ पैमानों में सुधार देखा गया है।

दिल्ली पुलिस की संचार प्रणाली का निष्पादन, पुराना होने के कारण तेजी से क्षतिग्रस्त हो गया है तथा वायरलैस सैट की संख्या में पिछले 10 वर्षों में तेजी से गिरावट हुई है। दिल्ली पुलिस 20 वर्ष पुराने ट्रंकिंग सिस्टम (एपीसीओ) का उपयोग कर रही है जबकि इसका सामान्य परिचालन जीवनकाल 10 वर्ष है। यह भी पाया गया कि दिल्ली पुलिस द्वारा अधिष्ठापित काफी सीसीटीवी कैमरे कार्य नहीं कर रहे हैं।

दिल्ली पुलिस ने अपने कार्यों को करने के लिए बहुत से डिजिटल अभिक्रमों की पहल की है हालांकि सीसीटीएनएस के सुरक्षा वास्तुकार में कमजोरियां तथा सीसीटीएनएस में रखे गये डाटा में खामियां भी चिंता का विषय है। दिल्ली पुलिस द्वारा बहुत से सिटीजन सेन्ट्रिक एप्लीकेशन्स को आरंभ किया गया था हालांकि एप्लीकेशन की खरीद, इसके तदंतर कार्य तथा प्रचार पर भारी खर्च के बावजूद उपयोगकर्ताओं द्वारा शिथिल रूप से अपनाये जाने के कुछ मामले पाए गए।

निष्पादन लेखापरीक्षा की मुख्य अभ्युक्तियाँ इस प्रकार हैः

अध्याय 2: रा.रा.क्षे. दिल्ली में अपराध घटनाएं

- रा.रा.क्षे दिल्ली में भारतीय दंड संहिता (भा.दं.सं.) के अंतर्गत पंजीकृत अपराधों में 2013 की तुलना में 2019 के दौरान 275 *प्रतिशत* तक वृद्धि हुई है। यह तेज वृद्धि 'अन्य थेफ्ट' तथा मोटर वाहन (एमवी) थेफ्ट' के अंतर्गत पंजीकृत अपराधों में बड़ी वृद्धि के कारण थी। दिल्ली पुलिस ने 'अन्य थेफ्ट' तथा 'एमवी थेफ्ट' में इस तेज वृद्धि के लिए, अपराधों की बेहतर रिपोर्टिंग तथा मोटर वाहनों ओर अन्य संपत्तियों की थेफ्ट की ई-एफआईआर दर्ज कराने की सुविधा, को जिम्मेदार ठहराया।

- जघन्य अपराध 2013 में 4,159 से बढ़कर, 2019 में 5,185 हो गए। पंजीकृत जघन्य अपराधों की कुल संख्या में वर्ष 2013 से 2015 में तेजी से वृद्धि हुई थी और उसके बाद 2015-2019 के दौरान लगातार कमी आई थी जो एक सकारात्मक प्रवृत्ति है।

अध्याय 3: दिल्ली पुलिस में जनशक्ति की स्थिति

- राज्य में पुलिस बल के प्रभावी कार्य तथा कानून और व्यवस्था के रखरखाव हेतु पर्याप्त, इष्टतम तथा उचित तैनाती आवश्यक है। हालांकि दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली जनशक्ति की कमी से प्रभावित है। गृह मंत्रालय ने 12,518 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति दी जिसमें से 3,139 पदों को शुरुआत में प्रभावित किया जाना था एवं बाकी 9,379 पदों को 3,139 पदों की भर्ती व इन कर्मियों की तैनाती के उपरान्त संचालित किया जाना था। हालाँकि इन 3,139 पदों के विरुद्ध कर्मियों की भर्ती करने में दिल्ली पुलिस की असफलता के कारण, शेष 9,379 स्वीकृत पदों पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

- दिल्ली पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 11.75 *प्रतिशत* था जो 33 *प्रतिशत* के इच्छित लक्ष्य की अपेक्षा बहुत कम था।

- लेखापरीक्षा में चयनित विशेष प्रशिक्षणों से संबंधित अभिलेखों का विश्लेषण किया गया तथा 2016-19 की अवधि के दौरान योजनाबद्ध विशेष प्रशिक्षण की तुलना में वास्तविक प्रशिक्षण औसतन 42 *प्रतिशत* कम पाए गए।
- आज तक उच्च तथा निम्न अधीनस्थों के लिए कोई कैडर समीक्षा नहीं की गई है।
- आवास संतुष्टि कम थी क्योंकि लगभग 80,000 दिल्ली पुलिस कार्मिकों हेतु केवल 15,360 क्वार्टर उपलब्ध थे।

अध्याय 4: पुलिस जिले

- चयनित पुलिस जिलों के 72 पुलिस स्टेशनों में से केवल एक में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एण्ड डवलेपमेन्ट (बीपीआरएंडडी) द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्टॉफ था। पुलिस स्टेशनों की परीक्षण जाँच में यह देखा गया कि स्टॉफ में 35 *प्रतिशत* की कमी थी। स्टॉफ की अत्यधिक कमी ने पुलिस कार्मिकों को जबर्दस्त दबाव में डाला हुआ था चूँकि छः नमूना जाँच किए गए पुलिस जिलों में उनके औसत दैनिक ड्यूटी घंटों की रेंज, मोडल पुलिस अधिनियम 2006 के अंतर्गत निर्धारित आठ घंटों के विरूद्ध 12 से 15 घंटे थी।
- जनशक्ति की कमी के परिणामस्वरूप जाँच अपराधों में शामिल मूल कार्य करने हेतु जाँच दलों की संख्या भी अपर्याप्त थी। इसने अपराधियों को न्याय दिलाने में दिल्ली पुलिस की क्षमता को बाधित किया।
- पुलिस स्टेशनों में अवसंरचनात्मक सुविधाएं भी अपर्याप्त थीं। 72 नमूना-जाँच पुलिस स्टेशनों में से बहुत से पुलिस स्टेशनों में सुविधापूर्ण कार्य के लिए आवश्यक सुविधाओं जैसे बैरक, कैंटीन/मेस, रसोई, परेड/खेल के मैदान इत्यादि की कमी थी। जनता के लिए सुविधाएँ जैसे शौचालय, प्रतीक्षाकक्ष, महिला सहायता डेस्क इत्यादि भी आवश्यक मानको से कम थीं।
- चयनित जिलों के पुलिस स्टेशनों में वाहनों की भी कमी थी जो उनकी कानून और व्यवस्था स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया करने की योग्यता को सीमित करता है।

अध्याय 5: पुलिस कंट्रोल रूम

- सेंट्रल पुलिस कंट्रोल रूम में संकट कॉल्स कंप्यूटर एडेड डिस्पैच प्रणाली (सितम्बर 2019 तक पीए-100 तथा उसके बाद एमरजेन्सी रिसपोन्स सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस)-112) के माध्यम से प्राप्त की जाती है। पिछले वर्षों में ब्लैंक कॉल्स का बढ़ना आपात प्रतिक्रिया प्रणाली के निष्पादन को प्रभावित करने वाला मुख्य अवरोधक हो गया है हालांकि इसका संतोषजनक हल अभी तक नहीं मिला है।
- कॉल टेकर्स द्वारा प्रणाली में डाले गए डाटा की गुणवत्ता भी चिंता का विषय है क्योंकि प्रपत्रों में हिंदी/अंग्रेजी का मिश्रित उपयोग है जो डाटा की उपयोगिता को प्रभावित करता है। कॉल्स का वर्गीकरण भी सुसंगत नहीं है तथा यह विस्तृत विश्लेषण के लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है।
- अन्य मामलों जैसे कि प्रेषक भार, कतार का समय, प्रतिक्रिया समय इत्यादि को भी उजागर किया गया है, जिनको कुशल आपात प्रतिक्रिया प्रणाली में संज्ञान में लिया जाना आवश्यक है। नई प्रणाली में कुछ पैरामीटरों में सुधार देखा गया है परन्तु कुछ बाकी है।
- पीसीआर तथा एमपीवी में 6,171 पुलिस कर्मियों की आवश्यकता के एवज में केवल 4,141 पुलिस कर्मियों के साथ चल रहे थे और 55 *प्रतिशत* एमपीवी बंदूकधारियों के बिना चल रहे थे।

अध्याय 6: संचालन और संचार

- पारंपरिक वायरलैस सेट्स की संख्या जून 2009 में 9,638 से घटकर जून 2019 में 6,172 हो गई क्योंकि इस दौरान जंक सेट्स को नियमित रूप से बदला नहीं गया।
- दिल्ली पुलिस 20 वर्ष पुराने ट्रंकिंग सिस्टम (एपीसीओ) का उपयोग कर रही है जिसकी आयु सामान्य आयु सीमा से 10 वर्ष अधिक है। इन सेट्स के उन्नयन के लिए प्रस्तावों को 10 वर्ष पहले शुरू किया गया था परन्तु अभी तक निविदाओं को भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
- वायरलैस सैटों का निष्पादन कालप्रभावन के कारण तेजी से शिथिल हो गया है।
- इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) द्वारा 3800 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को अधिष्ठापित तथा अनुरक्षित किया गया था।

संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे कैमरों की प्रतिशतता बहुत कम है, विशेष तौर से पूरी तरह से समाप्त प्रारंभिक/प्राथमिक चरण कैमरों के अलावा चरण-I, II ए, तथा III के 31 - 44 *प्रतिशत* कैमरे खराब पाये गये है।

– ईसीआईएल के साथ हुए समझौते के अनुसार अतिरिक्त कैमरों की अनुपलब्धता तथा आवश्यकता पड़ने पर कैमरों के स्थानांतरण/मरम्मत के लिए अनुमोदनों में असाधारण विलंब सीसीटीवी कैमरों के निष्पादन को प्रभावित कर रहे हैं।

अध्याय 7: स्पेशल सैल

– राष्ट्रीय राजधानी की विशेष आतंकरोधी इकाई होने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सैल को इसकी कार्यात्मक इकाईयों में प्रभावी तैनाती के लिए आवश्यक निर्धारित जनशक्ति प्रदान कर सुदृढ़ नहीं किया जा सका।

– रेंजों में वाहन, निवारक उपकरण जैसे बुलेटप्रूफ जैकेटें तथा हथियार एवं गोलाबारूद जो वास्तविक समय स्थितियों में तीव्र प्रतिक्रिया के लिए अनिवार्य हैं, की उपलब्धता में कमियों से रेंज शिथिल हो रही थीं।

– दिल्ली में आतंकवादियों, गैंगस्टर अथवा राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा किसी सशस्त्र आक्रमण का प्रथम उत्तरदाता स्वात, उनके पूर्ण विकास तथा तैयारी हेतु बुलेटप्रूफ जैकेट्स के साथ-साथ विशेष प्रशिक्षण की कमी की वजह से कम कुशलता से कार्य कर रहा था।

– विशेष सैल की साइबर क्राइम यूनिट में साइबर से संबंधित अपराधों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित तथा योग्य जनशक्ति की गैर-तैनाती के कारण मामलों का निपटान अपर्याप्त रहा।

अध्याय 8 : सिक्योरिटी यूनिट

– सभी संरक्षित व्यक्ति (पीपी) के संरक्षण के लिए 3896 पुलिस कर्मियों की आवश्यकता के प्रति केवल 2661 कर्मी ई-ब्लाक में सक्रिय ड्यूटी हेतु तैनात थे अर्थात जनशक्ति की 32 *प्रतिशत* कमी थी।

– यद्यपि वहाँ माँग की तुलना में जनशक्ति की समग्र कमी थी, 12 पीपी जो दिल्ली में नहीं रह रहे थे की सुरक्षा हेतु ई-ब्लाक से 207 पुलिस कर्मी, स्थायी रुप से नियुक्त किए गए। इसी तरह 15 पीपी ऐसे थे जो पड़ोसी राज्यों में रह रहे थे परन्तु उन्हें सुरक्षा इकाई (ई-ब्लाक सुरक्षा लाइन) द्वारा 24 घंटे सुरक्षा (54 पुलिस कार्मिक) प्रदान की जा रही थी। मानदंडो के अनुसार उन्हें संबंधित राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए थी।

अध्याय 9 : दिल्ली पुलिस की डिजिटल पहल

- दिल्ली पुलिस ने शतप्रतिशत स्थानों को पूरी तरह से क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) के ऑनलाईन तथा वास्तविक समय संस्करण में परिवर्तित कर दिया है। हालांकि प्रणाली में रखे गए डाटा की गुणवत्ता के बारे में समस्या बाकी है क्योंकि कुछ गैर-अनिवार्य क्षेत्र अभी तक जंक डाटा से भरे पड़ें है अथवा रिक्त छोड़ दिए गए हैं। साथ ही, स्थानांतरित लेगेसी डाटा की वैधता अभी तक प्रक्रियाधीन थी।

- थर्ड पार्टी लेखापरीक्षा में सीसीटीएनएस के सुरक्षा वास्तुकार में दोषपूर्वता को इंगित किया गया था परन्तु उन्हें अभिभाषित नहीं किया गया है। यह एक बडे तौर पर अप्रचलित तकनीकी स्टैक, जिस पर सीसीटीएनएस आधारित है के कारण है।

- ₹ 40 करोड़ की निधि से कार्यान्वित की जाने वाली सेफ एण्ड सेक्योर दिल्ली, एक एन्टरप्राईज-वाईड डाटा इंटीग्रेशन एवं इंटेलीजेंस गैदरिंग परियोजना को विक्रीकर्ताओं द्वारा बार-बार अंतिम रुप दिए जाने के प्रयासों की विफलता के पश्चात पूरी तरह से बंद कर दिया गया।

- क्राइम मैपिंग, एनालिटिक्स एण्ड प्रिडिक्टिव सिस्टम (सीएमएपीएस), अपराध डाटा की मैपिंग तथा कार्यवाही योग्य सूचना द्वारा डिसीजन स्पोर्ट सिस्टम को विकसित करने के लिए, दिल्ली पुलिस तथा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन-एडवांस्ड डाटा प्रोसेसिंग इन्स्टिटयूट (इसरो एडरिन) की संयुक्त परियोजना आशात्मक रुप से कार्य नहीं कर रही है। योजित परियोजना उद्देश्यों को छोड़ दिया गया है तथा इसकी उपयोगिता भी प्रश्नीय है।

- हिम्मत एप्लीकेशन की अर्जन, इसकी तदंतर कामकाज तथा यूसर्स द्वारा शिथिल प्रतिक्रिया के बावजूद इसके प्रचार पर किए गए विस्तृत व्यय से संबंधित कई मामले पाए गए हैं। एमवी थैफ्ट वेब ऐप्लिकेशन भी क्रियाशील है परन्तु ऐप्लिकेशनों की खरीद तथा तदंतर कामकाज और वेब ऐप्लीकेशन के माध्यम से उत्पन्न डाटा की यथार्थता के असंख्य मामले भी पाए गए थे।